रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 400] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 17, 1980/अग्रहायण 26, 1902
No. 400] NEW DELHI, WEDNESDAY, DEC. 17, 1980/AGRAHAYANA 26,1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1980

सीमा-शुल्क

सा० का० नि० 697(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 117-सीमा-शुल्क [सा० का० नि० 318(अ), तारीख 9 जून, 1978 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की पहली अनुसूची में —

(क) क्रम संख्यांक 5 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"5	खनिज मोम, कच्चा पेट्रोलियम कोक और भस्मीकृत पेट्रोलियम कोक	27.12/13 और 27.14/16";

(ख) क्रम संख्यांक 29 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"29 क	छाते की कमानियां	66 01/03".

[सं० 240/फा० सं० 602/24/80-डी बी के]
महेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Indirect Tax Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 1980

CUSTOMS

G.S.R. 697(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 117-Customs [GSR-318(E)] dated the 9th June, 1978, namely :—

In the said notification, in the First Schedule,—

(a) for Serial No. 5 and entries relating thereto, the following serial No. and entries shall be substituted namely :—

1.	2	3
"5.	Mineral waxes, raw petroleum coke and calcined petroleum coke.	27.12/13 and 27.14/16";

(b) after Serial No. 29 and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be inserted, namely :—

1	2	3
"29A.	Umbrella ribs.	66.01/03".

[No. 240/F. No. 602/24/80-DBK]
MAHESH KUMAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980